



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-सी.जी.-अ.-14072025-264616
CG-CG-E-14072025-264616

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3025]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 11, 2025/आषाढ़ 20, 1947

No. 3025]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 11, 2025/ASHADHA 20, 1947

रेल मंत्रालय

[दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे]

अधिसूचना

बिलासपुर, 9 जुलाई, 2025

रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 20 ई के तहत

का.आ. 3095(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसमें इसके पश्चात् (अ) उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 उपखंड (II) में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक का.आ. 1804 (अ) तारीख 19 अप्रैल 2025 (जिसमें इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) द्वारा उक्त अधिसूचना से उपबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, विशेष रेल परियोजना दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अन्तर्गत झारसुगड़ा—रायगढ़, रायगढ़—चांपा, चांपा—बिलासपुर, तिल्दा—बिलासपुर, तिल्दा—दुर्ग, मुंडीकोटा—नागपुर, बिलासपुर—पेंड्रारोड—अनूपपुर और रायपुर—लखौली के मध्य में मौजूदा 1X25KV ट्रैक्शन सिस्टम को 3000 MT लोडिंग लक्ष्य को पूरा करने के लिए 2X25KV एटी फीडर व्यवस्था में अपग्रेड करने हेतु ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र राज्य में निष्पादन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी, और उक्त अधिनियम की धारा 20क की उप धारा (4) के अधिनियम 20क अधिसूचना का सार दैनिक समाचार पत्र संवाद (ओडिया), दैनिक भास्कर (हिन्दी) न्यू इंडियन एक्सप्रेस (अंग्रेजी) 27.04.2025 में प्रकाशित किया गया था, और निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई और उक्त अधिनियम की धारा 20घ के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रकरण का निराकरण किया गया और उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप धारा(1) के अनुसरण में सक्षम अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है, अतः अब केन्द्रीय सरकार सक्षम अधिकारी से उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर और रेल अधिनियम, 1989 की धारा 20ड की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इससे उपबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पुर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी, और यह कि केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20ड के अनुसरण में यह घोषणा करती है इस अधिघोषणा के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगनों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यांतिक रूप से निहित हो जाएगी।

जिला –झारसुगुड़ा							राज्य–ओडिशा		
क्र.	ग्राम एवं तहसील का नाम	सक्षम पदाधिकारी	भूस्वामी का नाम	खाता संख्या	खसरा संख्या	किस्म	कुल क्षेत्रफल (एकड़ में)	अर्जित क्षेत्रफल (एकड़ में)	अर्जित क्षेत्रफल (हे० में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	ग्राम— बेलपहार, तहसील— लखनपूर, जिला— झारसुगुड़ा	भू अर्जन पदाधिकारी जिला— झारसुगुड़ा	हेमसागर मुगरी, जमुना मुगरी पिता चंद्रभानु मुगरी	1261/1192	194(P)	Be Sa	1.470	0.260	0.105
			गौरी मुगरी स्व० चंद्रभानु मुगरी						
			मनोज मुगरी, सनोज मुगरी, रीता कुम्भार पिता इन्द्रजीत मुगरी						
			भामा मुगरी स्व० इन्द्रजीत मुगरी						
			मित्रभानु मुगरी, जसोबंत नायक पिता प्रेम मुगरी						
			भार्गवी दीप, नरेश मुगरी, गीतांजलि मुगरी, तारेश मुगरी पिता चन्द्रशेखर मुगरी						
			तारेश मुगरी पिता चन्द्रशेखर मुगरी						
			कुमारी मुगरी स्व० चन्द्रशेखर मुगरी						
2.	ग्राम— बेलपहार, तहसील— लखनपूर, जिला— झारसुगुड़ा	भू अर्जन पदाधिकारी जिला— झारसुगुड़ा	हेमसागर मुगरी, जमुना मुगरी पिता चंद्रभानु मुगरी	1261/1192	193/ 9894	Be Sa	0.080	0.040	0.016
			गौरी मुगरी स्व० चंद्रभानु मुगरी						
			मनोज मुगरी, सनोज मुगरी, रीता कुम्भार पिता इन्द्रजीत मुगरी						

			भामा मुगरी स्व० इन्द्रजीत मुगरी						
			मित्रभानु मुगरी , जसोबंत नायक पिता प्रेम मुगरी						
			भार्गवी दीप, नरेश मुगरी, गीतांजलि मुगरी, तारेश मुगरी पिता चन्द्रशेखर मुगरी						
			तारेश मुगरी पिता चन्द्रशेखर मुगरी						
			कुमारी मुगरी स्व० चन्द्रशेखर मुगरी						
3.	ग्राम— बेलपहार, तहसील— लखनपूर, जिला— झारसुगुड़ा	भू अर्जन पदाधिकारी जिला— झारसुगुड़ा	रामनाथ शुक्ला पिता शिवनाथ शुक्ला	915	193	Ba Sa	2.170	1.600	0.647
			बसंत कुमार शुक्ला, हेमंत कुमार शुक्ला, जयंत कुमार शुक्ला, शारदा शुक्ला, पुष्पलता शुक्ला पिता राम दुलाल शुक्ला						
			तारा देवी शुक्ला पिता राम दुलाल शुक्ला						
	TOTAL						3.720	1.900	0.768

[फा. सं. सीपीएम/इले/2x25 के.वी. ओ.एच.ई./भूमि अधि./ 20 E/978]

आलोक तिवारी, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

[South East Central Railway]

NOTIFICATION

Bilaspur, the 9th July, 2025

NOTIFICATION UNDER SECTION 20 E of THE RAILWAY ACT 1989

S.O. 3095(E).—Whereas by the notification of the Government of India, In the Ministry of Railways (Railway Board) number S.O. 1804 (A), dated the 19.April.2025, published in the Gazzette of India (Extra-Ordinary) Part-II section 3 sub section (ii) , hereinafter referred to as the said notification) under subsection (1) of 20A of the railway act,1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act),the central Government declared its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for execution of Special Railway Project, namely for

Up-gradation of existing 1x25KV Traction System to 2x25KV OHE with AT feeder arrangement between **Jharsuguda-Raigarh**, Raigarh-Champa, Champa-Bilaspur, Tilda-Bilaspur, Tilda-Durg, Mundikota-Nagpur, Bilaspur-Pendra Road-Anuppur & Raipur-Lakholi sections over SEC Railway to meet 3000MT loading target in the state of Odisha, Chhattisgarh, Maharashtra over SEC railway. And, whereas the substance of the said notification 20 A was published as per section 20A sub section (4) in the daily Newspapers Samvaad (Odiya), Dainik Bhaskar (Hindi), New Indian Express (English) on 27.04.2025, and whereas, **No objections were received within the set time period** and disposed of by the Competent Authority under section 20D of the said Act; and, whereas, in pursuance of subsection (1) of section 20E of the said act, the Competent Authority has submitted his report to the central Government. Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority, and in exercise of the powers conferred by sub section (1) of the section 20E of the said act 1989, the central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose; and, further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette, the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all Encumbrances.

District- Jharsuguda								State: Odisha	
Sr. No.	Name of Village and Tehsil	Competent Authority	Name of recorded tenant	Khata No	Plot No.	Kism	Total area (in Ac)	Area to be acquired (in Ac)	Area to be acquired (in Hec.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Village – Belpahar, Tehsil- Lakhanpur District- Jharsuguda	L.A.O. District- Jharsuguda	Hemsagar Mugri, Jamuna Mugri Pita-Chandar Bhanu Mugri	1261/1192	194(P)	Be Sa	1.470	0.260	0.105
			Gouri Mugri Sw. Chandrabhanu Mugri						
			Manoj Mugri, Sanoj Mugri, Rita Kumbhar Pita-Indrajit Mugri						
			Bhama Mugri Sw. Indrajeet Mugri						
			Mitrabhanu Mugri, Jashobant Nayak Pita Prem Mugri						
			Bhargabi Deep, Naresh Mugri, Gitanjali Mugri, Taresh Mugri Pita. Chandrasekhar Mugri						
			Taresh Mugri Pita. Chandrasekhar Mugri						
			Kumari Mugri Sw. Chnadrsekhar Mugri						
2.	Village – Belpahar,		Hemsagar Mugri, Jamuna Mugri	1261/1192			0.080	0.040	0.016

	Tehsil- Lakhanpur District- Jharsuguda		Pita-Chandar Bhanu Mugri						
			Gouri Mugri Sw. Chandrabhanu Mugri						
			Manoj Mugri, Sanoj Mugri, Rita Kumbhar Pita- Indrajit Mugri						
			Bhama Mugri Sw. Indrajeet Mugri						
		L.A.O. District- Jharsuguda	Mitrabhanu Mugri, Jashobant Nayak Pita Prem Mugri		193/ 9894	Be Sa			
			Bhargabi Deep, Naresh Mugri, Gitanjali Mugri, Taresh Mugri Pita. Chandrasekhar Mugri						
			Taresh Mugri Pita. Chandrasekhar Mugri						
			Kumari Mugri Sw. Chnadrsekhar Mugri						
3.	Village – Belpahar, Tehsil- Lakhanpur District- Jharsuguda	L.A.O. District- Jharsuguda	Ramnath Shukla Pia. Shibanath Shukla	915	193	Ba Sa	2.170	1.600	0.647
			Basant Kumar Shukla, Hemanta Kumar Shukla, Jayant Kumar Shukla, Sharda Shukla, Pushpalata Shukla Pita. Ram Dulal Shukla						
			Tara Devi Shukla Sw. Ram Dulal Shukla						
	TOTAL						3.720	1.900	0.768

[F. No. CPM/Ele. /BSP/2x25KV OHE/Land Acquisition/20 E/ 978]

ALOK TIWARI, Chief Administrative Officer/Con